पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1587
दिनांक-02.09.2026

उत्तर प्रदेश पुलिस पेंशनर कल्याण संस्थान, जनपदीय इकाई लखनऊ की मासिक बैठक सम्पन्न

आज दिनांक **02.09.2026** को **पोलनेट भवन, महानगर, लखनऊ** में उत्तर प्रदेश पुलिस पेंशनर कल्याण संस्थान, जनपदीय इकाई लखनऊ की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता **श्री आर0एल0 निरंजन, महासचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस पेंशनर कल्याण संस्थान एवं सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक** द्वारा की गई।

बैठक में लखनऊ इकाई के पेंशनरों एवं कार्यकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक के दौरान पेंशनरों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में प्रमुख रूप से निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई-

1. कार्यालय में वाई-फाई सुविधा की स्थापना

उत्तर प्रदेश पुलिस पेंशनर कल्याण संस्थान कार्यालय में नियुक्त कार्मिकों द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय में **एसीटी कम्पनी का वाई-फाई कनेक्शन स्थापित कर दिया गया है**, जिससे कार्यालयीय कार्यों एवं पेंशनरों से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन में सुविधा प्राप्त होगी।

2. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों की प्रगति

गोष्ठी में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ से उपस्थित महिला लिपिक द्वारा पेंशनरों के **चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रकरणों** के सम्बन्ध में प्रगति से अवगत कराया गया। बताया गया कि वर्ष **2026 में अब तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कुल 1634 प्रकरण** प्राप्त हुए हैं, जिनमें से **1573 प्रकरण सीएमओ/चिकित्सा अधीक्षक, पुलिस लाइन लखनऊ को प्रेषित** किए जा चुके हैं। शेष **61 पत्रावलियां प्रेषित किया जाना बाकी** हैं, जिनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

3. गंभीर बीमारी के उपचार से सम्बन्धित चिकित्सा बिलों के शीघ्र निस्तारण का अनुरोध

सेवानिवृत्त उप निरीक्षक **श्री रविन्द्र कुमार राय** द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी पत्नी का **कीमोथेरेपी उपचार** चल रहा है, जिसमें लगभग **₹60,000 प्रति सप्ताह** का व्यय हो रहा है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि गंभीर बीमारी एवं उपचार में होने वाले नियमित व्यय को दृष्टिगत रखते हुए तीन माह के चिकित्सा बिल एक साथ प्रस्तुत करने के स्थान पर **प्रति सप्ताह चिकित्सा बिल स्वीकार किए जाने की व्यवस्था** की जाए, जिससे उपचार के दौरान होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति समय से प्राप्त हो सके।

उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए **महासचिव महोदय द्वारा सम्बन्धित लिपिक को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।**

पेंशनरों की समस्याओं के सम्बन्ध में संवाद-

बैठक के दौरान उपस्थित पेंशनरों से उनकी अन्य समस्याओं एवं कठिनाइयों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। उपस्थित पेंशनरों द्वारा **अन्य किसी समस्या से अवगत नहीं कराया गया।**

अन्त में महासचिव महोदय द्वारा बैठक में प्रतिभाग करने वाले सभी पेंशनरों एवं पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए गोष्ठी के समापन की घोषणा की गई।

बैठक का उद्देश्य सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारों से सम्बन्धित समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना तथा उनके कल्याण से जुड़े विषयों पर प्रभावी समन्वय स्थापित करना रहा।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1590

दिनांक-02.09.2026

जोन-पश्चिमी/थाना- पारा,

- **जानलेवा हमले एवं पुराना पारा पिंक बूथ के पास सरेआम फायरिंग की घटना में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **05.08.2026** को थाना पारा क्षेत्रान्तर्गत मुख्य मार्ग **लखनऊ-हरदोई रोड**, पुराना पारा थाना के निकट पुलिस पिंक बूथ के सामने वादी **रंजीत यादव एवं उसके परिवार** पर रंजिश को लेकर लगभग **15-20 हमलावरों** द्वारा अपनी-अपनी गाड़ियों से पीछा करते हुए जानलेवा हमला किया गया था। हमलावरों द्वारा वादी की **सियाज कार को घेरकर लाठी-डंडों एवं ईंट-पत्थरों से तोड़फोड़** की गई तथा मुख्य मार्ग पर ललकारते हुए वादी को जान से मारने की नीयत से **अवैध असलहे से फायरिंग** की गई थी।

घटना के सम्बन्ध में वादी श्री रंजीत यादव की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना पारा पर **मु0अ0सं0-542/2026** धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में **धारा 190/351(3)/324(4)/125 बीएनएस एवं 7 सीएलए एक्ट** की वृद्धि की गई तथा घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों के नाम भी प्रकाश में आए।

इसी क्रम में थाना पारा पुलिस टीम द्वारा दिनांक **01.09.2026** को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **सुजीत यादव उर्फ मंत्री** को **पंडित खेड़ा रोड** से गिरफ्तार किया गया।

02- पूछताछ में प्रकाश में आए तथ्य

गिरफ्तार अभियुक्त **सुजीत यादव उर्फ मंत्री** से पूछताछ एवं विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि नामजद अभियुक्त **निर्मल यादव** उसका करीबी मित्र है। दिनांक 05.08.2026 की सुबह निर्मल यादव की स्कॉर्पियो गाड़ी वादी रंजीत यादव की बाइक से टच हो गई थी। इस बात को लेकर रंजीत यादव द्वारा सड़क पर ही निर्मल यादव से कहासुनी करते हुए उसे भला-बुरा कहा गया था। उक्त बात से क्षुब्ध होकर निर्मल यादव द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर रंजीत यादव से बदला लेने की योजना बनाई गई। साथ ही इलाके में **अपना प्रभाव एवं वर्चस्व कायम करने के उद्देश्य से** अपने साथियों को एकत्र किया गया।

योजनानुसार सुजीत यादव एवं अन्य साथी **असलहों तथा लाठी-डंडों से लैस होकर** पंडित खेड़ा रेलवे ओवरब्रिज के पास एकत्र हुए और वादी रंजीत यादव के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रंजीत यादव अपनी पत्नी एवं बच्चे के साथ कार से वहां से निकला, अभियुक्तगण द्वारा विभिन्न वाहनों एवं बाइकों से उसका पीछा किया गया। **पुराना पारा थाना के पास ट्रैफिक के कारण वादी की कार की गति धीमी होने पर अभियुक्तगण ने कार को चारों ओर से घेर लिया।**

इसके बाद अभियुक्तगण द्वारा ललकारते हुए कार पर ईंट-पत्थरों से हमला कर तोड़फोड़ की गई। इसी दौरान सह-अभियुक्त **आकाश यादव** द्वारा अवैध असलहे से रंजीत यादव पर **जान से मारने की नीयत से फायरिंग** की गई।

प्रकरण में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर अन्य अभियुक्तों की भूमिका के सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

01-सुजीत यादव उर्फ मन्त्री उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र स्व0 रामनरेश निवासी कलिया खेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ

04-सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0स0- 542/2026 धारा 190/191(2)/191(3)/115(2)/324(4)/125/352/351(3)/109(1) बी0एन0एस0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना पारा जनपद लखनऊ

05-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना पारा लखनऊ

1. श्री सुरेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री मुन्ना लाल चौकी प्रभारी हंसखेड़ा थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 श्री हर्ष यादव थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
4. हे0का0 अजय सिंह थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
5. रि0का आशीष सिंह थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1589
दिनांक-02.09.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर

आपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना गोमतीगनर लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन शाखा के संयुक्त प्रयास से मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 02 अभियोगों में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 55,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

01- संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत, श्रीमान पुलिस आयुक्त, श्री तरूण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय, श्रीमती अपर्णा कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय मे सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त पूर्वी व अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त गोमतीनगर व प्रभारी निरीक्षक थाना गोमतीनगर के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार के द्वारा प्रभावी पैरवी व अथक प्रयास से **अभियुक्त गुलफाम पुत्र रईस अहमद** निवासी फरीपुर निकट अंजान पेड थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष को मु0अ0सं0 213/2021 धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया व मु0अ0सं0 214/2021 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना गोमतीनगर लखनऊ को 03 वर्ष का कारावास व कुल 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

02-फैसला का विवरण-1

थाना गोमतीनगर पर दिनांक 01.04.2021 को वादी श्री अमित अग्रवाल द्वारा बावत प्रतिवादी द्वारा वादी की भाभी पर चाकू मारकर हत्या करने विषयक के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 **मु0अ0सं0 213/2021 धारा 302 भादवि** थाना गोमतीनगर लखनऊ बनाम गुलफाम पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री केशव कुमार तिवारी थाना गोमतीनगर द्वारा की गयी सम्बंधित वाद संख्या 1414/21 में माननीय न्यायालय एडीजे 20 लखनऊ द्वारा सुनवाई के बाद को अभि० अभियुक्त गुलफाम उपरोक्त को को **धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 50,000 रुपये** के अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर अतिरिक्त 01 वर्ष का कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

3. फैसला का विवरण 2-

थाना गोमतीनगर पर दिनांक 01.04.2021 को वादी मुकदमा SHO श्री केशव कुमार तिवारी थाना गोमतीनगर लखनऊ द्वारा बावत अभियुक्त से सम्बंधित मु0अ0सं0 213/2021 में चाकू की बरमदगी विषयक के सम्बन्ध **मे मु0अ0सं0 214/2021 धारा 4/25 आर्मस एक्ट** बनाम गुलफाम पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 विवेक चौधरी थाना गोमतीनगर द्वारा की गयी। सम्बंधित वाद संख्या 1426/21 में माननीय न्यायालय एडीजे 20 लखनऊ द्वारा सुनवाई के बाद अभि० अभियुक्त गुलफाम उपरोक्त को **धारा 4/25 आर्मस एक्ट में लखनऊ 03 वर्ष का कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया** तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर अतिरिक्त 03 माह का कठोर कारावास से दण्डित किया गया। जेल में बिताई गयी अवधि समायोजित की जायेगी।

04-अभियुक्त का विवरण-

01-गुलफाम पुत्र रईस अहमद निवासी फरीपुर निकट अंजान पेड थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष

05-पैरवीकर्ता-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार तिवारी, थाना गोमतीनगर,
2. अवनीश कुमार थाना गोमतीनगर,

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1586

दिनांक-02.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अ0 एवं मु0) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री राम बाबू सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक-01.09.2026 को वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें वादिनी की नाबालिग पुत्री लगभग 15 वर्ष कही चली गयी है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मेरी पुत्री को ग्रा0 बजेहरा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव निवासी राज पुत्र पिन्टु बहला फुसला भगा ले जाने व गाली गलौज करने के संबध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मोहनलालगंज लखनऊ पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व पीडिता की कुशल बरामदगी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा 02 टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से आज दिनांक 02.09.2026 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया व पीडिता को सकुशल बरामद किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

01-राज उर्फ टुशी पुत्र पिन्टू निवासी ग्राम बजेहरा, थाना सोहरामऊ, जनपद उन्नाव उम्र 19 वर्ष हालपता ग्राम केशरी खेड़ा सिसेण्डी थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

04-पंजीकृत अभियोगः-

01-मु0अ0सं0-332/2026,धारा 65(1)/87/137(2)/351(2)/352 बी0एन0एस0 व 5m/6 पाक्सो एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1588

दिनांक- 02.09.2026

जोन- मध्य / थाना- मानकनगर

महिला की हत्या कर शव को नहर किनारे फेंकने वाले अभियुक्त को थाना मानकनगर पुलिस ने मात्र 03 घंटे में किया गया गिरफ्तार।

- **अभियुक्त द्वारा महिला की हत्या उसके दुपट्टे से गला कसकर किए जाने की बात पूछताछ में प्रकाश में आई।**
- **हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से अभियुक्त द्वारा शव को अपने ई-रिक्शा में लादकर नहर किनारे ले जाया गया था।**
- **अभियुक्त द्वारा शव को नहर में फेंकने का प्रयास किया गया, लेकिन पीछे से लोगों के आते दिखाई देने पर शव को नहर किनारे छोड़कर फरार हो गया था।**
- **घटना में प्रयुक्त ऑटो ई-रिक्शा संख्या UP32RT5486 (बजाज गोगो) बरामद किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 02.09.2026 को वादी मुकदमा श्री मुन्ना लाल मियां उर्फ टिंचू इस्लाम पुत्र स्व0 सुलेमान द्वारा थाना मानकनगर पर तहरीर प्रस्तुत की गई। तहरीर में उल्लेख किया गया कि दिनांक 31.08.2026 को उनकी पुत्री पूजा उर्फ परवीन, उम्र करीब 28 वर्ष, की उसके साथ रहने वाले धीरज कुमार सोनकर द्वारा हत्या कर उसके शव को नहर के किनारे फेंक दिया गया।

वादी की तहरीर के आधार पर थाना मानकनगर पर मु0अ0सं0 48/2026 धारा 103(1)/238(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना श्री अजीत कुमार, थानाध्यक्ष मानकनगर द्वारा की जा रही है।

02- कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

थाना मानकनगर पुलिस टीम द्वारा घटना के अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु त्वरित कार्यवाही की गई। पुलिस टीम द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्राप्त सूचनाओं के आधार पर **अभियुक्त धीरज कुमार सोनकर पुत्र असर्फी लाल सोनकर**, उम्र करीब 55 वर्ष को चिन्हित करते हुए उसकी तलाश की गई।

लगातार की गई पुलिस कार्यवाही के परिणामस्वरूप अभियुक्त को दिनांक 02.09.2026 को घटना के मात्र 03 घंटे के अन्दर उसके दूसरे पते स्लीपर ग्राउण्ड, शान्तिपुरम कालोनी, थाना मानकनगर, लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त ऑटो ई-रिक्शा संख्या UP32RT5486 (बजाज गोगो) भी बरामद किया गया, जिसका प्रयोग अभियुक्त द्वारा मृतिका के शव को नहर किनारे ले जाने में किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

03- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त धीरज कुमार सोनकर से पूछताछ करने पर प्रकाश में आया कि वह मृतिका पूजा उर्फ परवीन को पिछले लगभग 04-05 वर्षों से जानता था तथा दोनों के मध्य परिचय था। मृतिका प्रायः अभियुक्त के साथ स्लीपर ग्राउण्ड क्षेत्र में रहती थी।

अभियुक्त के अनुसार दिनांक 30.08.2026 की रात्रि में मृतिका द्वारा उससे ₹50,000/- की मांग की गई थी। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने हाल ही में ई-रिक्शा लोन पर लिया है तथा उसके पास उक्त धनराशि उपलब्ध नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों के मध्य विवाद हुआ।

इसके पश्चात प्रातः करीब 03-04 बजे मृतिका द्वारा अपने घर जाने की जिद की गई तथा अभियुक्त को धमकी देने की बात कही गई। इसी विवाद के दौरान अभियुक्त को गुस्सा आ गया और उसने मृतिका के दुपट्टे से उसका गला कस दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

मृतिका की मृत्यु के बाद अभियुक्त द्वारा शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से उसे अपने ई-रिक्शा में लादा और नहर की ओर ले गया। डीआरएम पुलिया के पास वह शव को नहर में फेंकने का प्रयास कर रहा था, तभी पीछे से कुछ लोगों को पैदल आते देखकर वह घबरा गया। पकड़े जाने के डर से अभियुक्त शव को नहर में फेंकने के बजाय नहर किनारे फुटपाथ पर छोड़कर ई-रिक्शा लेकर मौके से चला गया।

04- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01-धीरज कुमार सोनकर पुत्र असर्फी लाल सोनकर निवासी I-138H, V.G. कालोनी आलमबाग थाना आलमबाग लखनऊ व दूसरा पता कण्डम कालोनी स्लीपर ग्राउण्ड शान्तिपुरम आलमबाग थाना मानकनगर लखनऊ उम्र करीब 55 वर्ष

05-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 48/2026 धारा 103(1),238(a) BNS थाना मानकनगर लखनऊ,

06- बरामदगी विवरण –

- घटना में प्रयुक्त वाहन आटो ई-रिक्शा संख्या UP32RT5486 (बजाज गोगो)

07- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थानाध्यक्ष श्री अजीत कुमार थाना मानकनगर कमि0 लखनऊ
- उ0नि0 श्री सत्यम द्विवेदी थाना मानकनगर कमि0 लखनऊ
- उ0नि0 श्री त्रिभुवन सिंह थाना मानकनगर कमि0 लखनऊ
- म0उ0नि0 श्रीमती पूजा पाल थाना मानकनगर कमि0 लखनऊ
- हे0का0 अलाउद्दीन थाना मानकनगर कमि0 लखनऊ
- म0हे0का0 गोमती देवी थाना मानकनगर कमि0 लखनऊ
- आरक्षी प्रकाश यादव थाना मानकनगर कमि0 लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1585

दिनांक-02.09.2026

जोन-उत्तरी / थाना- महिगवां

थाना महिगवां क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण-डीसीपी उत्तरी की सर्विलांस टीम व थाना महिगवां पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में।

- **थाना महिगवां क्षेत्र में हुई हत्या के ब्लाइंड मर्डर केस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।**
- **सीडीआर के अवलोकन, मुखबिर तंत्र एवं सुरागरसी-पतारसी के माध्यम से पुलिस टीम ने घटना का सफलतापूर्वक खुलासा किया।**
- **पारिवारिक विवाद के चलते मृतक की योजनाबद्ध तरीके से हत्या किए जाने का तथ्य प्रकाश में आया।**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिलें UP32HF3427 (सुपर स्पेलण्डर) एवं UP32GC7192 (स्पेलण्डर) बरामद की गईं।**
- **प्रकरण में वांछित एक अन्य अभियुक्त बलबीर की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।**

01. घटना एवं अभियोग का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **31.08.2026** को श्री शिव बालक पुत्र स्व0 गया प्रसाद निवासी ग्राम गनेशपुर, मजरा परसहिया, पोस्ट कुम्हरावां, तहसील बक्शी का तालाब, जनपद लखनऊ द्वारा थाना महिगवां पर सूचना/प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनका पुत्र **सतीश यादव** सोंतल पुरवा रोड स्थित प्लाटिंग क्षेत्र में अजरा फिरदौस पुत्री शमशेर खान निवासी बलिया, गोरखपुर के निर्माणाधीन मकान की रात्रि में रखवाली/चौकीदारी करता था। दिनांक **31.08.2026** की रात्रि लगभग **01.00 बजे से 02.00 बजे** के मध्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महिगवां पर **मु0अ0सं0 137/2026 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस** पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों को लगाया गया।

02. ब्लाइंड मर्डर केस के अनावरण की कार्यवाही-

घटना को चुनौती के रूप में लेते हुए विवेचना के दौरान **सर्विलांस टीम (डीसीपी उत्तरी) एवं थाना महिगवां पुलिस टीम** द्वारा सीडीआर का विश्लेषण, तकनीकी साक्ष्यों का अवलोकन तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर लगातार सुरागरसी-पतारसी की गई। पुलिस कार्यवाही के दौरान **आनन्द कुमार** एवं **17 वर्ष 06 माह के बाल अपचारी** संदेह के घेरे में आए।

पूछताछ एवं विवेचना में प्रकाश में आया कि मृतक के भाई **बाल अपचारी** द्वारा अन्य अभियुक्तगण **दीपक रावत, रचित रावत एवं बलबीर** की सहायता से हत्या की योजना बनाई गई थी। योजना के अनुसार उक्त अभियुक्तगण गनेशपुर स्थित प्लाटिंग क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान की छत पर पहुंचे, जहां मृतक सतीश यादव सो रहा था। अभियुक्तगण द्वारा सोने की अवस्था में ही **चाकू एवं लोहे की सरिया से कई बार वार कर उसकी हत्या** कर दी गई।

पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक **02.09.2026 को समय लगभग 03.15 बजे** अभियुक्त **आनन्द कुमार** एवं बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया। इसके पश्चात मुखबिर की सूचना पर दिनांक **02.09.2026 को समय लगभग 04.50 बजे** अभियुक्त **दीपक रावत** एवं **रचित रावत** को **सिंहपुर पुलिया, थाना महिगवां, लखनऊ** से गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण में वांछित अभियुक्त **बलबीर पुत्र मुन्नू** की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार संभावित स्थानों पर दबिश एवं आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त ब्लाइंड मर्डर केस के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी में **स्वाट/सर्विलांस टीम डीसीपी उत्तरी** तथा **थाना महिगवां पुलिस टीम** की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गिरफ्तारी की कार्यवाही के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया।

03-पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान प्रकाश में आया कि मृतक सतीश यादव को उसकी **नानी की ओर से पैतृक/पारिवारिक संपत्ति के रूप में भूमि प्राप्त हुई थी**, जिसे मृतक द्वारा पूर्व में विक्रय कर प्राप्त धनराशि को **अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं अनुत्पादक खर्चों** में व्यय कर दिया गया था। इसके पश्चात मृतक द्वारा अपने पिता पर उसके हिस्से की अन्य भूमि को भी विक्रय करने हेतु लगातार **दबाव बनाया जाता था तथा भूमि के संबंध में परिवार में विवाद की स्थिति बनी रहती थी।**

इसी पारिवारिक विवाद एवं मृतक द्वारा बनाए जा रहे लगातार दबाव से क्षुब्ध होकर उसके छोटे भाई **(बाल अपचारी)** द्वारा अपने बड़े भाई सतीश यादव की हत्या करने की योजना बनाई गई। योजना को अंजाम देने के लिए उसने अपने परिचित अभियुक्तगण **दीपक रावत, रचित रावत, आनन्द कुमार एवं बलबीर** की सहायता ली।

मृतक सतीश के भाई **बाल अपचारी ने** अपने भाई की मृत्यु कारित करने के लिए अपने मित्र आनंद को खर्चे के लिए **₹58000 दिया था कुल ₹88000 में बात हुई थी** बाकी पैसे बाद में देने की बात कहा है।

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0 137/2026 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना महिगवां, लखनऊ।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

05-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण / व्यवसाय-

1. **दीपक रावत** पुत्र शम्भू रावत, निवासी ग्राम फर्रूखाबाद, थाना सैरपुर, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 21 वर्ष, **व्यवसाय- मजदूरी।**
2. **रचित रावत** पुत्र मूलचन्द्र, निवासी ग्राम पहाड़पुर, थाना महिगवां, जनपद लखनऊ, **व्यवसाय- मजदूरी।**
3. **आनन्द कुमार** पुत्र कमल प्रसाद, निवासी ग्राम फर्रूखाबाद, थाना सैरपुर, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 22 वर्ष, **व्यवसाय- मजदूरी।**
4. **बाल अपचारी**, उम्र करीब 17 वर्ष।

06-बरामदगी

घटना में प्रयुक्त निम्न **02 मोटर साइकिलें** एंव घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बरामद की गई :-

1. **UP32HF3427 – सुपर स्पेलेंडर**
2. **UP32GC7192 – स्पेलेंडर**
3. **घटना से एक 1. अदद चाकू**
4. **तीन अदद सरिया लोहे**

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

स्वाट/सर्विलांस टीम डीसीपी उत्तरी	**थाना महिगवां पुलिस टीम**
1.स्वाट/सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि दीपक कुमार	1. थानाध्यक्ष राधेश्याम मौर्य थाना महिगवां, लखनऊ
2. हे0का0 अवधेश गिरी	2. व0उ0नि0 गौरी शंकर यादव थाना महिगवां,लखनऊ
3. हे0का0 नदीम	3. उ0नि0 मनीष मिश्रा थाना महिगवां, लखनऊ
4. हे0का0 संतोष कुमार	4. उ0नि0 सुनील कुमार थाना महिगवां, लखनऊ
5. हे0का0 अमित कुमार गौतम	5. उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह थाना महिगवां, लखनऊ
6. का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह	6. का0 शैलेन्द्र कुमार यादव,महिगवां लखनऊ
7. का0 अमन शुक्ला	7. का0 लाल बहादुर थाना महिगवां लखनऊ
8. का0 विशेष दुहूण	

नोट-पुलिस उपायुक्त, उत्तरी द्वारा घटना के सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 25000/-रूपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।